

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

पत्रांक-सी 530/ जि0का0अ0/ आ0वा0का0/ सहा0चयन भर्ती/ 2026-27/ दिनांक-07/9/2026

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025 (1917687) दिनांक 17.09.2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद गौतमबुद्धनगर के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में रिक्त आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के मानदेय(संविदा) पर आधारित निम्न विवरण के अनुसार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत इच्छुक महिला अभ्यर्थियों से विभागीय वेब साईट <http://upanganwadibharti.in> पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पदों का परियोजनावार विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	परियोजना का नाम	आंगनवाडी कार्यकर्त्री					आंगनवाडी सहायिका				
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल योग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	शहर	04	—	06	06	16	12	—	09	11	32
2	बिसरख	09	—	09	04	22	16	—	16	23	55
3	दनकौर	07	—	03	12	22	16	—	13	20	49
4	दादरी	02	—	04	04	10	09	—	09	10	28
5	जेवर	03	—	07	04	14	06	—	06	07	19
	योग	25	—	29	30	84	59	—	53	71	183

उपरोक्त रिक्तियों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण अर्हता का पूर्ण विवरण विभागीय वेब साईट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है एवं जनपद में कलैक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील, विकास खण्ड एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:-

- 1-विज्ञापित पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
- 2-शैक्षिक योग्यता-आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के पद हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष अधिकतम परास्नातक होगी। मेरिट का निर्धारण इण्टरमीडिएट से परास्नातक तक की योग्यता के आधार पर किया जायेगा।
- 3-आयुसीमा (I) आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयुसीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु के सम्बन्ध में कट ऑफ डेट का निर्धारण 01 जुलाई 2026 को होगा। (II) आयु के सम्बन्ध में आंगनवाडी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे।
- 4-आवेदिका को ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त पद की ग्रामसभा एवं शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड की निवासी होना अनिवार्य है। ग्रामसभा में पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में सम्बन्धित न्याय पंचायत में से निर्धारित वरीयतानुसार चयन किया जायेगा।
- 5-विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी।
- 6-तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा० न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
- 7-आय प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-आ०-9 दिनांक 30.09.2011 (यथा संशोधित) के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाणपत्र ही मान्य होगा, जिसका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।

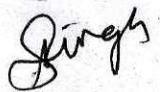
- 8-सर्वप्रथम गरीबी रेखा के अन्तर्गत आयसीमा में से वरीयतानुसार चयन किया जायेगा। गरीबी रेखा से नीचे की आयसीमा के अभ्यर्थी न मिलने की दशा में वरीयतानुसार गरीबी रेखा से उपर की आय सीमा से चयन किया जायेगा।
- 9-उपजिलाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार के डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय एवं जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से सम्भव हो।
- 10-कोई भी आवेदन ऑफलाइन एवं डाक द्वारा भेजे जाने पर मान्य नहीं होंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो, पोर्टल पर अपलोड की जायेगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- 11-रिक्त आंगनवाडी कार्यकर्त्री/ सहायिका के पद पर चयन प्रक्रिया पूर्णतया पोर्टल से ऑनलाइन के माध्यम से शासनादेश में वर्णित दिशा निर्देशनुसार सम्पादित होगी। इसके लिए किसी भी प्रकार की लिखित परीक्षा अथवा साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।
- 12-विज्ञापित पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 28 सितम्बर 2026, मध्यरात्रि 12.00 बजे तक होगी।
- 13-रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- 14-एक केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनवाडी कार्यकर्त्री/सहायिका पद पर नहीं की जायेगी।
- 15-उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र/सूचना विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय स्थित विकास भवन, कमरा न0-110, भूतल सूरजपुर ग्रेटरनोएडा से किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 5.00 बजे के मध्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

(आशीष कुमार सिंह)
प्र0 जिला कार्यक्रम अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

प्रकाशन के लिए नहीं
पृष्ठांकन पत्र संख्या-~~सी-530~~ / तद् दिनांक

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0 प्र0 लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 3-मुख्य विकास अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 4-जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर को इस अनुरोध के साथ कि इस विज्ञप्ति को शासकीय दर पर एक स्थानीय एवं एक प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में प्रकाशित कराकर भुगतान हेतु बिल अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित कराने का कष्ट करें।
- 5-समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि विज्ञप्ति एवं रिक्त पदों की विस्तृत सूचना तहसील एवं विकास खण्ड कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
- 6-नाजिर कलैक्ट्रेट एवं नजिर विकास भवन को इस अनुरोध के साथ कि उक्त विज्ञप्ति को अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 7-कार्यालय प्रति।


जिला कार्यक्रम अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।